न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 616–तीन/10 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–1–10 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना प्रकरण कमांक 157/2005–06 निगरानी.

———

1– हेमंत कुमार पुत्र श्री कैलाश नारायण वैश्य
2– गिरीश कुमार पुत्र बृजश कुमार वैश्य
निवासीगण ग्राम करहाल तहसील करहाल
जिला श्योपुर म.प्र. ——— आवेदकगण

विरूद्ध

1– रणजीत सिंह पुत्र हरनाम सिंह जाट
मुख्त्यारआम बक्शी सिंह पुत्र हरनाम सिंह
निवासीगण ग्राम करहाल तह. करहाल
जिला श्योपुर म.प्र.
2– धर्मेन्द्र पुत्र श्री कैलाशनारायण
निवासी ग्राम करहाल तह. करहाल
जिला श्योपुर म.प्र. ——— अनावेदकगण

———

श्री एस. पी. धाकड़, अधिवक्ता, आवेदकगण ।
श्री आर. एस. सेंगर, अधिवक्ता, अनावेदक कमांक – 1.
अनावेदक कमांक – 2 एकपक्षीय.

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 20 जनवरी, 14 को पारित)

———

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 157/2005–06/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23 जनवरी, 2010 से व्यथित होकर म.प्र. भू– राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 2 द्वारा तहसीलदार, कराहाल जिला श्योपुर के समक्ष आवेदक प्रस्तुत किया कि वह ग्राम कराहाल स्थित भूमि सर्वे नं. 1406 रकबा 4 बीघा 11 बिस्बा पर वर्ष 1984 के पूर्व से काबिज होकर खेती करता चला आ रहा है । अतः उसे म.प्र. कृषि प्रयोजनों के

लिए उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1984 के तहत उसेभूमि व्यवस्थापित की जाये । तहसीलदार ने उक्त आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर सुनवाई प्रारंभ की । सुनवाई के दौरान मतस्य विभाग द्वारा आपत्ति किए जाने पर अपर कलेक्टर ने प्रकरण निगरानी में लेकर आदेश दिनांक 3.3.01 द्वारा प्रकरण निगरानी योग्य न पाया जाकर तहसीलदार को इस निर्देश के साथ वापिस किया कि व्यवस्थापन की शर्तों का पालन करते हुए नियमानुसार व्यवस्थापन की कार्यवाही की जाये । तहसीलदार करहाल ने सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 24.5.01 द्वारा वयवस्थापन की शर्तें पूरी न होना पाया जाकर प्रकरण निरस्त कर दिया । इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर, श्योपुर के समक्ष निगरानी होने पर उन्होंने आदेश दिनांक 13.9.01 द्वारा निगरानी स्वीकार की एवं उक्त भूमि अनावेदक क. 2 के नाम व्यवस्थापित की गई । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की इसमें अपर आयुक्त ने अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया साथ ही उन्होंने सर्वे नं. 1406 के सम्पूर्ण रकबा 8 बीघा 11 विस्वा को पटवारी अभिलेख में शासकीय भवनों के प्रयोजन हेतु आरक्षित दर्ज करने के आदेश दिए । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि इस प्रकरण में अनावेदक कमांक 1 एवं 2 के मध्य प्रकरण प्रश्नाधीन सर्वे नं 1406 के रकबा 4 बीघा 11 विस्वा का था । अपर कलेक्टर द्वारा भी उक्त भूमि का ही व्यवस्थापन अनावेदक कमांक 2 के पक्ष में किया था किंतु अपर आयुक्त ने प्रकरण के तथ्यों से हटकर सर्वे नं. 1406 के सम्पूर्ण रकबा को ही शासकीय दर्ज करने के आदेश दिए हैं, जो अवैधानिक हैं । सम्पूर्ण रकबे में आवेदक के भूमिस्वामित्व की भूमि 0.418 हैक्टर भी शामिल है जबकि आवेदक की भूमि केसंबंध में उनके समक्ष प्रकरण विचाराधीन ही नहीं था । उक्त भूमि का व्यवस्थापन आवेदक को विधिवत प्रकिया अपनाये जाने के उपरांत किया गया था ।

यह तर्क दिया गया कि अपर आयुक्त का आदेश नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित करने के पूर्व उसे सुना जाना आवश्यक है, किंतु अपर आयुक्त ने ना

तो आवेदक को पक्षकार बनाया और ना ही उसे सुनवाई का कोई अवसर दिया है, इस कारण उनका आदेश निरस्ती योग्य है ।

यह तर्क दिया गया कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय मद की आरक्षित न होकर कृषि प्रयोजन के लिए थी । आवेदक का विवादित भूमि पर 2.10.84 के पूर्व से कब्जा होने के कारण उसे व्यवस्थापन किया गया था । उक्त आराजी को उसने भूमिस्वामी स्वत्व मिलने के बाद काफी धन राशि व्यय कर समतल बनाया है तथा सिंचित किया है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा अपर आयुक्त के आदेश को आवेदक के भूमिस्वामित्व की भूमि की सीमा तक निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि अनावेदक कमांक 2 द्वारा अपर आयुक्त के आलोच्य आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में शासन एवं अनावेदक कमांक 1 के विरूद्ध विविध याचिका कमांक 2225/2010 पेश की गई है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 18.2.14 को याचिका को अंतिम सुनवाई हेतु ग्राह्य कर पूर्व में दी गई अंतरिम सहायता (जिसमें 30.4.10 की स्थिति में पक्षकारों को यथास्थिति रखने के आदेश दिए गए थे) को आगामी पेशी तक निरंतर रखे जाने के आदेश दिए गए हैं । अतः निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ जबाव में आवेदक की ओर से अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक को ना तो अपर आयुक्त द्वारा पक्षकार बनाया गया और ना ही आवेदक माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रकरण में पक्षकार है । यह भी कहा गया कि अनावेदक कमांक 1 एवं 2 के मध्य माननीय उच्च न्यायालय में जो विवाद है वह सर्वे नं. 1476 रकबा 4 बीघा 11 विस्बा के संबंध में है नाकि सर्वे नंबर 1406 के सम्पूर्ण रकबा 8 बीघा 11 विस्वा (जिसमें आवेदक के भूमिस्वामित्व की भूमि रकबा 0.418 भी शामिल है) के संबंध में ।

6/ आवेदक एवं अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण अनावेदक कमांक 2 द्वारा तहसीलदार के समक्ष सर्वे नंबर 1406 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा के व्यवस्थापन हेतु प्रस्तुत आवेदन पर से प्रारंभ हुआ है और अपर कलेक्टर ने उक्त भूमि का व्यवस्थापन अनावेदक कमांक 2 के पक्ष में किया गया था । अपर आयुक्त के समक्ष जो पक्षकार (अनावेदक कमांक 1 एवं 2 थे) उनके मध्य विवाद केवल उक्त व्यवस्थापन के संबंध में ही था नाकि सर्वे नं. 1406 की सम्पूर्ण भूमि 8 बीघा

11 बिस्वा के संबंध में । सम्पूर्ण भूमि के संबंध मे शासन अथवा किसी पक्षकार द्वारा कोई आपत्ति भी अपर आयुक्त के समक्ष नहीं किया गया है । आवेदकगण के पक्ष में जो 4 बीघा भूमि के व्यवस्थापन का जो आदेश है उस पर कोई आपत्ति किसी के द्वारा की गई हो । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा सर्वे नंबर 1406 के सम्पूर्ण रकबा को शासकीय दर्ज करने का आदेश देना अवैधानिक एवं त्रुटिपूर्ण है । उनके आदेश से यह भी स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा जिन व्यक्तियों का नाम (विवादित रकबे को छोड़कर) भूमिस्वामी के रूप में सर्वे नं. 1406 पर अंकित था उन्हें ना तो पक्षकार बनाया गया है और ना ही उन्हें सुनवाई का कोई अवसर दिया गया है । अपर आयुक्त के अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा आवेदक के पक्ष में भूमि का जो व्यवस्थापन आदेश है उसको स्वमेव निगरानी में लिए जाने की कोई कार्यवाही भी नहीं की गई है और ना ही उन्हें कोई कारण बताओसूचना पत्र दिया गया है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश जहां तक आवेदक के हक का प्रश्न है, संहिता के प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के पूरी तरह विपरीत है । न्यायदृष्टांत 2011 आर0एन0 273 में माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि – किसी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व हितबद्ध व्यक्ति को कोई सूचनापत्र जारी नहीं किया गया – नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया । इस न्यायदृष्टांत में यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 50 (1) परंतुक (तीन) स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण – हितबद्ध व्यक्ति को सूचना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना – आदेश पारित नहीं किया जा सकता । यदि ऐसा आदेश पारित किया गया है तो वह प्रभावशील न होकर शून्य होगा । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में (सर्वे नं. 1406 रकबा 4 बीघा 11 बिस्बा को छोड़कर) शेष भूमि जो आवेदकों के स्वामित्व की है, को शासकीय दर्ज करने संबंधी अपर आयुक्त का आदेश न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है और उस सीमा तक अपर आयुक्त का आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

7/ इस प्रकरण में यह तथ्य सामने आया है कि अनावेदक कमांक 2 द्वारा अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में विविध याचिका कमांक 2225/2010 पेश की गई है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 18.2.14 को याचिका को अंतिम सुनवाई हेतु ग्राह्य कर पूर्व में दी गई अंतरिम सहायता (जिसमें 30.4.10 की स्थिति में पक्षकारों को यथास्थिति रखने के आदेश

दिए गए थे) को आगामी पेशी तक निरंतर रखे जाने के आदेश दिए गए हैं । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में जहां तक अनावेदक कमांक 1 एवं 2 के मध्य विवादित भूमि (सर्वे नंबर 1406 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा) के व्यवस्थापन के संबंध में अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये निष्कर्षों का प्रश्न है, किसी प्रकार का निर्णय लिया जाना न्यायोचित नहीं होगा बल्कि इस बिंदु का अंतिम निराकरण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार ही किया जा सकेगा ना कि आज की स्थिति में ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा जहां तक आवेदक के भूमिस्वामित्व की सर्वे नं. 1406 की भूमि रकबा 4.00 बीघा का प्रश्न है, उस सीमा तक अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाता है । अपर आयुक्त का शेष आदेश जो सर्वे नं. 1406 रकबा 4.11 बिस्बा भूमि के संबंध में है और जिसके संबंध में अनावेदक कमांक 1 एवं 2 के मध्य प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है, के संबंध में यह निर्देश दिए जाते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय से अंतिम आदेश होने पर उसके अनुसार कार्यवाही की जाये ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर